न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2022-213(GCMS2022-459)

भागीरथराम पुत्र सगताराम विश्नोई
निवासी ग्राम तालरिया, तहसील पोकरण
जिला जैसलमेर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. हीरादेवी पत्नी सगताराम पुत्री फुसाराम विश्नोई
2. भंवरूराम पुत्र सगताराम विश्नोई
   निवासीगण ग्राम तालरिया, तहसील पोकरण
   जिला जैसलमेर

रेस्पो. ...

3. भंवरूराम पुत्र सगताराम विश्नोई
   निवासी ग्राम तालरिया, तहसील पोकरण
   जिला जैसलमेर

प्रफोर्मा रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 19 दिसम्बर 2022 राजस्व वाद संख्या 02/2018 भागीरथराम व अन्य बनाम हीरादेवी आदि

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो.

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 20 नवम्बर 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2018 अनवान भागीरथराम बनाम हीरादेवी आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक

पीठासीन प्राधिकारी

19 दिसम्बर 2022 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 20 दिसम्बर 2022 को प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्य प्रकट करते हुए अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया और जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण भागीरथराम व श्रवणकुमार पिसरान सगताराम द्वारा आराजी खसरा संख्या 155/1 रकबा 60 बीघा 04 बिस्वा वाके मौजा माडपुरा एवं आराजी खसरा संख्या 740 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा वाके मौजा पदमेतनगर के संबंध में एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त वाद विचाराधीन रहने के दौरान प्रतिवादीगण-रेस्पो. की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया जाकर वाद विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए मूल दावा दिनांक 19 दिसम्बर 2022 को जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी खारिज कर दिया गया। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने बहस जारी रखते हुए यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट के नाना फूसाराम की स्वार्जित खातेदारी भूमि थी, उनके देहान्त के बाद वादग्रस्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार पुत्री व पुत्री के पुत्रों का समान अधिकार बनता है। विचारण न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 का गलत अर्थ निकाल कर वाद खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-पक्ष की ओर से वर्ष 2019 में जबाबदावा

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रस्तुत कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में प्रकरण में जबाबदावा प्रस्तुत हो जाने के बाद मूल वाद को सरसरी तौर पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र के आधार पर खारिज किया जाना उचित नहीं है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र में वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही देखा जाता है, प्रतिवादी की ओर से उठाये गये आधार विचारणीय नहीं होते है। इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने 2014(3) सिविल कोर्ट केसेज 499 (ए.पी.) तथा 2018(3) सिविल कोर्ट केसेज 844 (एस.सी.) की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2020 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बाबत पक्षकारान की बहस समायत की जाकर आइन्दा पेशी वास्ते आदेश 17 मार्च 2020 मुकर्रर की गयी थी, मगर दिनांक 17 मार्च 2020 को आदेश नहीं लिखाया गया और पेशी-दर-पेशी तारीख तब्दील की जाती रही। दिनांक 18 जून 2021 की आदेशका में "बहस हेतु समय चाहते है" अंकित किया गया, और अन्ततः दिनांक 13 दिसम्बर 2022 को पुनः बहस सुनी जाकर दिनांक 19 दिसम्बर 2022 को अपीलाधीन अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करते हुए मूल दावा विधि द्वारा वर्जित मानते हुए खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन करते हुए कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के प्रावधानानुसार पुत्री की संतान को प्रथम श्रेणी के

राजस्व अपील प्राधिकारी

उत्तराधिकारी नहीं माना गया है और न ही मातृ-पक्ष (नाना) की सम्पत्ति पुश्तैनी सम्पति की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में आलौच्य मामले में प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक हीरादेवी को अपने पिता के देहान्त के बाद प्राप्त वादग्रस्त भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार उसकी आत्यंतिक अधिकारों की भूमि है। ऐसी भूमि बाबत प्रतिवादी-रेस्पो. हीरादेवी के जीवनकाल में पुश्तैनी आधार पर अपीलाण्ट-वादी को कोई अधिकार अर्जित नहीं होते है। अपने वादपत्र मे स्वयं वादी-पक्ष की ओर से वादग्रस्त आराजी अपने नाना की खातेदारी भूमि होना जाहिर करते हुए पुश्तैनी आधार पर अपने हक-हकूक जताये गये है। इन परिस्थितियों में वादपत्र के पठन मात्र से ही उसमें चाहा गया अनुतोष विधि द्वारा वर्जित होना प्रकट होने से विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री न्यायोचित पारित किये गये है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2020 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बाबत पक्षकारान की बहस समायत की जाकर आइन्दा पेशी वास्ते आदेश 17 मार्च 2020 मुकर्रर की गयी थी, मगर दिनांक 17 मार्च 2020 को समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखाया गया और आइन्दा पेशी 30 मार्च 2020 नियत की गयी। उसके बाद "कोविड" महामारी के कारण मामले में तारीख तब्दील की जाती रही और अन्ततः दिनांक 13 दिसम्बर 2022 को पुनः बहस सुनी जाकर दिनांक 19 दिसम्बर 2022 को अपीलाधीन अपीलाधीन निर्णय एवं

डिकी पारित किये गये है। उक्त समस्त कार्यवाही "कोविड" महामारी की परिस्थितियों एवं न्यायिक प्रकिया के तहत सामान्य तौर पर की गयी कार्यवाही है। जिसके संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा उठाये गये आक्षेप में कोई सार नजर नहीं आता है।

आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में नाना की खातेदारी भूमि में पुश्तैनी आधार पर अपने हक-हकूक होना जाहिर करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति उसकी आत्यांतिक सम्पत्ति होती है। ऐसी स्थिति में उसके जीवनकाल में उसकी संतान को ऐसी सम्पत्ति बाबत कोई अधिकार अर्जित नहीं होते है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि पुत्री की संतान किसी हिन्दू निर्वसीयती के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में सम्मिलित नहीं है।

इस प्रकार आलौच्य मामले में वादपत्र के पठन मात्र से यह तथ्य भलीभांति प्रकट हो जाता है कि वादपत्र में चाहा गया अनुतोष कानूनन देय नहीं है। फलतः ऐसा दावा सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानानुसार खारिज किये जाने योग्य होने से विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अदालत हाजा की विनम्र राय में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः तथा अधिवक्ता-अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों 2014(3) सिविल कोर्ट केसेज 499 (ए.पी.) तथा 2018(3) सिविल कोर्ट केसेज 844 (एस.सी.) में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप पाये जाते है, जिनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता और औचित्य प्रकट नहीं होता है।

अतः अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत आलौच्य अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 19 दिसम्बर 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओम प्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		**रेस्पो.**
भागीरथराम पुत्र सगताराम विश्नोई निवासी ग्राम तालरिया, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर	**ब**	1. हीरादेवी पत्नी सगताराम पुत्री फुसाराम विश्नोई
	ना	2. भंवरुराम पुत्र सगताराम विश्नोई निवासीगण ग्राम तालरिया, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
	म	3. भंवरुराम पुत्र सगताराम विश्नोई निवासी ग्राम तालरिया, तहसील पोकरण,जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 19 दिसम्बर 2022 राजस्व वाद संख्या 02/2018 भागीरथराम व अन्य बनाम हीरादेवी आदि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 20 नवम्बर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट एवं अधिवक्ता श्री रोशनलाल मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि आलौच्य अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 19 दिसम्बर 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रुपये ------------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

निरन्तर....

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 20 नवम्बर 2024 को जारी किया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकालातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर